न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 79/2018 **दायरा दिनांक : 05.06.2018**

उनवान

1— बलराम पुत्र बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— प्रमिला नाबालिग पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— किरण नाबालिग पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— उमेश नाबालिग पुत्र बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— अमरलाल पुत्र भैरूलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

    1— शंकरलाल पुत्र अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

    2— रूपचन्द पुत्र अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

    3— पार्वती बेवा अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

    4— रामप्यारी पुत्री अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— रामकिशन पुत्र भैरूलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1– मोतीलाल पुत्र रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– गीता पुत्री रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– सहोदरा पुत्री रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रोशन बाई पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

3– स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खानपुर

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 77/2018 **दायरा दिनांक : 05.06.2018**

उनवान

1– बलराम पुत्र बिरधीलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– प्रमिला नाबालिग पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– किरण नाबालिग पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– उमेश नाबालिग पुत्र बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— अमरलाल पुत्र भैरूलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1— शंकरलाल पुत्र अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— रूपचन्द पुत्र अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— पार्वती बेवा अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— रामप्यारी पुत्री अमरलाल, जाति धाकड़, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— रामकिशन पुत्र भैरूलाल, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1— मोतीलाल पुत्र रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— गीता पुत्री रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— सहोदरा पुत्री रामकिशन, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रोशन बाई पुत्री बलराम जर्ये संरक्षक पिता बलराम, जाति धाकड, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खानपुर, जिला झालावाड़

3— स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खानपुर

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए के जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.05.2019

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 79/2018 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.12.2017 व 77/2018 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी रोशन बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92(ए), 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ग्राम सूमर तहसील खानपुर की खेवट खतौनी संख्या नयी 11 पुरानी 12 के खसरा नम्बर 853 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित है जो कि प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 के शामलाती खाते में दर्ज है । प्रतिवादी क्रम 1 बलराम वादिया का पिता है उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 रेकार्ड में दर्ज है । वादग्रस्त पुश्तैनी है जो कि वादिया के पितामह भैरू पुत्र माधो के खाते दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 2 व 3 अमरलाल व किशनलाल और वादिया के पिता बलराम को बिरधीलाल का पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई है । आराजी मुतनाजा का साबिक खसरा नम्बर 1209/619 है । वादिया प्रतिवादी क्रम 1 बलराम की पुत्री होने के नाते उक्त आराजी में 1/15

हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 बलराम बेचान व अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट क्रम 1 वादिनी रोशनीबाई द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं बंटवारा डिक्री करने में त्रुटि की है । ग्राम सुमर की खसरा नम्बर 853 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा के मामले में रेस्पोडेंट क्रम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त आराजी में अपीलांट क्रम 1 बलराम पिताका 1/3 हिस्सा है एवं अपीलांट/प्रतिवादी क्रम 2 व 3 अमरलाल व रामकिशन का 2/3 हिस्सा है । आराजी पुश्तैनी होने से वादिनी रोशनबाई अपने पिता बलराम की 1/3 हिस्सा आराजी में से 1/15 हिस्से का खातेदार घोषित होकर बंटवारा कराने की अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट क्रम 1 वादिनी का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया गया जिससे विवादित आराजी पुश्तैनी साबित होती हो । वादग्रस्त आराजी का बलराम एक मात्र खातेदार है । बलराम के जीवनकाल में रेस्पोडेंट क्रम 1 वादिनी को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । खातेदार बलराम के दो पत्नियां थी जिनका नाम चन्द्रकांता व पुष्पा बाई है । दोनों को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके अभाव में वाद खारिज होने योग्य है । प्रतिवादी अमरलाल की दावे के निर्णय के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी इससे स्पष्ट है कि निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्ति के खिलाफ पारित की है जो कानूनन अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय नु अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही विवादित आराजी के मामले में आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.05.2018 के बंटवारे पत्र के आधार पर दिनांक 30.05.2018 को ही फाईनल डिक्री कानूनी प्रावधानों के विपरीत केवल रोशन बाई की सहमति के आधार पर पारित करने में

त्रुटि की है । प्रतिवादी अमरलाल की मृत्यु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 28.12.2017 पारित होने के पूर्व ही हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी के बाद ही प्रारम्भिक डिक्री में वादिनी अमरलाल के कायम मुकामान नहीं बनाये गये और फाईनल डिक्री दिनांक 30.05. 2018 को जारी की गई । प्रतिवादी रामकिशन की मृत्यु भी जनवरी 2018 में हो चुकी थी इस प्रकार फाईनल डिक्री मृतक व्यक्तियों के खिलाफ होने से कानूनी प्रावधानों के तहत नल एण्ड वोईड है जो निरस्त होने योग्य है । बंटवारा पत्र से यह स्पष्ट है कि बंटवारे में केवल वादिनी का हिस्सा ही पृथक किया है एवं पेपर पार्टीशन रिपोर्ट सायक्लोस्टाईल पेपर पर है जो कि कानूनन अवैधानिक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री अपास्त की जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा जो कमियां एवं आपत्तियां अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर कह गई है। वह सारहीन वाद के मूल उद्देश्य से सम्बन्ध नहीं रखती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 28.12.2017 व 30.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा